

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये



TEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समस्त शिवगंज जिला निर्वाचन (उपनिर्वाचन), कुशीनगर  
जनपद - कुशीनगर (30 प्र.)

94AC 315445

शपथपत्र लखन प्रसाद प्रजापति मानजानित हस्त लिखित है-

1. यह कि मैं सशपथ वाचन करता व करता प्रकृत हूँ कि हम शपथकर्ता का नाम लखन प्रसाद प्रजापति मेरे पिताजी का नाम स्व. श्री वैशराम प्रजापति भाग्य 50 वर्ष निवासी ग्राम हरेया कुजुर्ग पोस्ट डोरलापुर जिला कुशीनगर है तथा सशपथ इमानदारी एवं सत्य मिठास के निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ।

2. यह कि मैं 2007 उ.प्र. की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन में सशपथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार था जिसका परिणाम 11 मार्च 2011 को घोषित किया गया था।

3. यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक 09/02/2011 नाशिकन एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मेरे निर्वाचन अधिकारियों मेरे एवं मेरे निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपगत/अधिकृत सभी व्ययों का प्रथम एवं सही लेखा रखा है।

4. यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिये गये निर्देशों के अनुसार सही किया गया था एवं उक्त रिजल्ट इस लेखा में अंकित/लिखित वाचन/विल के साथ संलग्न है।

5. यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखों के मेरे एवं मेरे निर्वाचन अधिकारियों, मुझे प्राथमिक करने वाला अभिहित जय शंकर पांडे द्वारा उपगत/अधिकृत निर्वाचन व्यय की सही मद इसके शामिल है। एवं उनमें लोक प्रतिनिधित्व



चल 4

अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अन्वय में स्वीकारण । एवं 2 द्वारा  
 इसके अन्वय में नैतिकता की भावना के सम्बन्ध में किसे जमानत प्रदान की  
 हो इसके उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखकर नैतिकता

5. यह कि विधायक के संबंध में उक्त लेखा के संख्यांक-11 में से  
 विधायक वृत्तों के सार विवरण में मेरे मेरे विधायक अधिकारी,  
 इस प्रोजेक्ट करने वाले जय हिन्द जय भारत पार्टी द्वारा समर्थन  
 देने वाले व्यक्तियों के नामों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपर  
 कायदा व्यय भी शामिल है।

करमुआम - जिला न्यायिक कार्यालय धरम  
 जनपद कुशीनगर  
 दिनांक - 22/06/17

शायकत  
 लदन प्रसाद पण्डित  
 दिनांक - 22/06/17

सत्यापन

80000  
 22/06/17

1. यह कि इस शायकत सिद्धांत करता है कि शायकत  
 का पैसा 1 लगातार 5 में दिया जा सकता है और व्यापकता जो  
 एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और इसमें उद्देश्य  
 जलत नहीं है एवं इसके अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति को  
 जो सहायता नहीं प्राप्त है इसके अर्थ में



करमुआम जिला न्यायिक कार्यालय धरम  
 जनपद - कुशीनगर  
 दिनांक 22/06/17

शायकत  
 लदन प्रसाद पण्डित  
 दिनांक - 22/06/17

Serial No. 1621  
 Solemnly affirmed before me on 22/06/17  
 at Padma by Shri  
 Lachman Prasad Prajapati  
 the deponent who is identified  
 Shri Radhey Shyam (authentic)  
 Satisfied myself  
 deponent that he / she understands the  
 contents of this affidavit which have  
 been read and explained by me

Handwritten signature